

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 159A/2018-19

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

कैरा सुरेन .....आवेदक/विक्रेता

बनाम

दाखिन हेम्ब्रम.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

26.10.19

- विक्रेता :- कैरा सुरेन पिता स्व० रॉसी सुरेन, ग्राम-बड़ाकांकड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-हो।
- क्रेता :- दाखिन हेम्ब्रम पिता स्व० गेड़ा हेम्ब्रम, ग्राम-सिनी सिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.10.18 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता दाखिन हेम्ब्रम पिता स्व० गेड़ा हेम्ब्रम, ग्राम-सिनी सिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

| मौजा        | थाना /थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा   |
|-------------|----------------|----------|-----------|--------|
| बड़ाकांकड़ा | सरायकेला /258  | 126      | 60/अं०    | 0.20ए० |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 3014 दिनांक 17.11.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।
2. विक्रेता अपने पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता के पास रकवा-4.24½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. विक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-‘हो’ एवं ‘संथाल’ है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता कैरा सुरेन पिता स्व० रॉसी सुरेन, ग्राम-बड़ाकांकड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता दाखिन हेम्ब्रम पिता स्व० गेड़ा हेम्ब्रम, ग्राम-सिनी सिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.20ए० भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

26/10/19  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।